



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1583/JH/9/2023-ESDW

दिनांक: 19.07.2024

सेवा में,

श्री संदीप उराँव,
ग्राम-हरमू टोंगरी टोली,
जतरा मैदान के पास, थाना-अरगोडा,
वार्ड सं.-26, जिला-रांची,
झारखण्ड-834002
फोन नं. 6203640664

विषय: भू-माफियाओं द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्जा करने के संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम-हरमू टोंगरी टोली, जतरा मैदान के पास, थाना-अरगोडा, वार्ड सं.-26, जिला-रांची, झारखण्ड-834002 का दिनांक 06.04.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग की माननीया सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 26.07.2024 को अपराह्न 02:00 बजे आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीया सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।